सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 8- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में जल उपभोक्ता समिति की भूमिका

विषय 8.2 जल बजट का परिचय तथा उससे लाभ

विषय - 8.2

जल बजट का परिचय तथा उससे लाभ

मॉड्यूल 8 में सम्मिलित विषय

1. एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का परिचय
2. जल बजट का परिचय तथा उससे लाभ
3. जल बजट तैयार करने की प्रक्रिया
4. जल बजट तैयार करने में विभाग तथा जल उपभोक्ता समिति की भूमिका

1. जल बजट का परिचय

जल बजट में हम अपने पास कितना पानी है और हमें कितना पानी इस्तेमाल करना है, का लेखा जोखा रखने का काम करते हैं

पानी हमें बरसात से मिलता है जो नदी, नालों, तालाबों में इकठ्ठा होता है और भूजल के रूप में भी हमें मिलता है। यहां पर हम सिंचाई योजनाओं से मिलने वाले पानी पर अपनी बात कर रहे हैं।

जिस तरह वित्तीय बजट तैयार करने के पहले हर साल हर स्तर पर सरकार (केन्द्र, राज्य, नगरीय निकाय, पंचायत) से यह मालूम करती हैं कि इस साल पैसे की आवक कहां कहां से होगी और यह जानकारी हर स्तर पर इकट्ठा की जाती है ठीक उसी तरह जल बजट तैयार करने में भी हर स्तर पर यानि राज्य, मुख्य अभियंता, कार्यपालन अभियंता और योजना स्तर पर यह जानने की जरूरत है कि पानी किन किन स्त्रोतों से इकठ्ठा होगा और यह जानने के लिए नदियों, तालाबों, कुओं, भूजल स्तर पर भी पानी की मात्रा जानने की आवश्यकता है।
उसी तरह जैसे बजट में खर्च करने के लिए भी पूरी तैयारी की जाती है ठीक उसी तरह जल बजट में भी मात्रा जानने के बाद उसके खर्च यानि उपयोग के लिए भी तैयारी की जाना चाहिए।
उसी तरह जल की मात्रा को जानना और उपयोग के बारे में भी हर स्तर पर सही सही जानकारी इकट्ठा करना होगा।

जल बजट से हमारा तात्पर्य है कि उपलब्ध जल की मात्रा का आकलन और उसका सबसे सटीक उपयोग। जल का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनमें प्रमुख प्रयोजन क्षेत्र नीचे वर्णित हैं:

- पेयजल
- कृषि एवं इससे जुड़े अन्य कार्य
- उद्यानिकी
- वानिकी
- पशुपालन
- मत्स्य पालन
- डेरी
- उद्योग
- पर्यटन, मनोरंजन, होटल इत्यादि

जल का मुख्य स्रोत वर्षा है जिससे नदियों, नालों , तालाबों में वह एकत्र हो कर उपयोग करने के लिए उपलब्ध होता है।

सिंचाई प्रणाली का उद्देश्य संपूर्ण कमांड क्षेत्र में समान रूप से सभी को उचित मात्रा में एवं उचित समय पर सिंचाई जल उपलब्ध कराना है।

जल बजट का उद्देश्य कुल उपलब्ध पानी से समस्त किसानों को उनकी फसल के अनुसार सिंचाई के लिए पानी को चलाना है।

कई बार कम वर्षा की स्थिति में बांध पूरा नहीं भर पाता है जिससे सिंचाई के लिए पूरा पानी दिया जाना संभव नहीं होता है। जल बजट के द्वारा यह जाना जा सकता है कि सभी कृषकों को पानी की उपलब्धता के हिसाब से जल की कितनी मात्रा उपलब्ध कराई जा सकती है।

वर्षा उपरांत सिंचाई विभाग के द्वारा जल की उपलब्धता का आकलन कर कृषकों को दिए जाने वाले पानी की गणना कर उपलब्ध जल के आबंटन की योजना बनाकर कृषकों को जल वितरण कराते हैं।

इस हेतु कार्यपालन यंत्री के द्वारा प्रस्तुत योजना का अनुमोदन संबंधित जिले की जल उपयोगिता समिति करती है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं एवं सदस्यों में कृषि, उद्यान, पशुपालन, उद्योग, नगरीय निकाय के जिला स्तरीय प्रमुख तथा जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष भी हैं। अनुमोदित प्रस्तावित योजना के अनुसार पानी के वितरण के संबंध में समितियों में ऐलान किया जाता है।

इसके पश्चात समिति के अध्यक्ष तथा सक्षम अधिकारी या उपयंत्री, कृषि विभाग के अधिकारी तथा समिति के समस्त अध्यक्ष तथा प्रबंध समिति के सहयोग से उपलब्ध जल की नहर/ कोलाबे में वास्तविक उपलब्धता के अनुसार सिंचाई हेतु जल को इस तरह उपलब्ध कराते हैं कि अंतिम छोर तक के कृषकों को उनकी फसल के अनुसार जल उपलब्ध हो सके।

इसके लिए निम्न मुख्य बातें ध्यान रखने योग्य हैं:-

- छोर के कृषक, उपयंत्री एवं कृषि विभाग के अधिकारी की सलाह से जल की अनुमानित उपलब्धता के अनुसार ही अपने खेत में फसल लगाएं।
- कार्यपालन यंत्री द्वारा बनाई गई योजना का पालन किया जाना चाहिए।

- जल बजट के अनुमोदन के पश्चात जल उपभोक्ता समिति समस्त कृषकों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए जल नियंत्रण योजना बनाएगी तथा
- जलाशय से या नहर से पानी छोड़ने व बंद करने की तारीख सभी विभाग द्वारा समिति सदस्यों को पूर्व में सूचित किया जाए।

2. जल बजट बनाने के लाभ

i) क्षेत्र के सभी किसानों को एवं जल उपभोक्ताओं को उचित समय एवं उचित मात्रा में जल मिल सकेगा।

ii) जल का सही आकलन करने से कमांड क्षेत्र में फसलों का निर्धारण उपलब्ध एवं प्रदाय की जाने वाले जल की मात्रा का सही ज्ञान होने से उस अनुसार किया जा सकता है।

iii) सही समय पर एवं सही मात्रा में जल की उपलब्धता होने पर फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

iv) समय एवं मात्रा का पहले से ही निर्धारण होने से कृषकों में आपसी समन्वय स्थापित होने से विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

v) अपनी अपनी बारियां कृषकों द्वारा तय करने से उन्हें जल वितरण में सहूलियत होगी व अनावश्यक समय की बरबादी नहीं होगी।

vi) जल वितरण में सहूलियत से कमांड क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मात्रा में जल मिल सके

vii) भरोसेमंद तरीके से जल वितरण

viii) समस्त किसानों की पानी की आवश्यकता का पता लग जाएगा

ix) क्षेत्र के फसल चक्र के बारे में भी पता लग जाएगा।

x) अंतिम छोर तक के कृषकों को उनकी फसल के अनुसार जल उपलब्ध

हर स्तर पर जल वितरण की व्यवस्था मैदानी अमले द्वारा किसानों से सहभागिता कर यानि जल उपभोक्ता समिति में चर्चा कर डिस्ट्रीब्यूटरी वार, माइनर वार, कोलाबा वार जल वितरण किया जाता है। इसी दौरान ओसराबंदी माइनर वार और वाराबंदी किसानवार लागू की जा सकती है।